शोध-मंथन Vol. VII No. 2, 2016 ISSN: (P) 0976-5255, (e) 2454-339X

ICRJIFR
IMPACT FACTOR
3.8942

शोध मंथन

टिहरी रियासत में जनता पर लगने वाले टैक्स (कर)

रजनी गुसाई *
असिस्टेंट प्रोफेसर
विभाग मानवविज्ञान
राजकीय पीजी कालिज, गढ़वाल, उत्तराखण्ड

सांरा”ा :– *टिहरी रियासत तथा रियासत के विलीनीकरण के समय तक कभी कम कभी ज्यादा रूप बदल–बदल कर जनता का शोषण बराबर बना रहा। राजा द्वारा की गयी व्यवस्थाएँ उतनी दोषपूर्ण नहीं थी जितनी राजा के अहलकारों द्वारा क्रियान्वयन दोषपूर्ण था। विभिन्न प्रकार के कर शासन के संचालन हेतु जनता से वसूले जाते थे। जनता की आय के साधन अत्यधिक सीमित थे। जबकि उस पर करों का बोझ अत्यधिक ज्यादा था। जनता से करो की वसूली के समय उसकी तात्कालिक परिस्थितयों का ध्यान नहीं रखा जाता था। अहलकारों द्वारा मूलतः नि”चित दरों से भी अधिक करों की बसूल याबी क्रूरतापूर्वक की जाती थी। इस प्रकार टिहरी नरे”ाों द्वारा राज्य की आय बढ़ाने के नाम पर अनेक बार कर लगाए गए थे–जिनसे राज्य की आय पर तो जो भी प्रभाव पड़ा लेकिन जनता अत्यधिक तृस्त और दुखी हो गयी।*

प्रस्तावना :– गढ़वाल प्रदे”ा कुमायूं के प”चिम में ”िामला हिमालय प्रदे”ा के पूर्व में उत्तर प्रदे”ा के जिला बिजनौर एवं सहानपुर के उत्तर में स्थित है।

1815 ई0 में महाराज सुद”ानशाह ने अंग्रजों की सहायता से गोरखों को गढ़वाल से निकालकर गढ़वाल राज्य पर पुनः पूर्ण अधिकार कर लिया किन्तु पूर्वी अलकनन्दा, रूद्र प्रयाग, मन्दाकिनी के पूर्व की ओर का जो क्षेत्र उस समय ब्रिटि”ा गढ़वाल के नाम से पुकारा जाता है– अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। इस प्रकार गढ़वाल राज्य का लगभग आधा भाग ब्रिटि”ा राज्य में आ गया शेष बचे भाग पर महाराज सुद”ान शाह का आधिपत्य अंग्रजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।[1]

इस भाग को ही आधुनिक इतिहास में ‘टिहरी रियासत’ के नाम से जाना जाता है। इस रियासत की राजधानी भी पुराने सम्पूर्ण गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर के स्थान पर टिहरी नामक स्थान पर बनायी गयी। टिहरी नगर पृथ्वी के अक्षांस 30^0–$22^0 54^0$ दे”ाान्तर 78^0–31^0–18^0 पर समुद्र तल से 2100′ की ऊंचाई पर भगीरथी नदी के बांयी किनारे और भिलंगना नदी के दाहिने किनारे अर्थात दोनों नदियों के मध्य बसाया गया।[2]

इस क्षेत्र के निवासी स्वयं कभी पूर्ण सुख का जीवन व्यतीत नहीं कर पाए। गढ़वाल क्षेत्र के निवासियों ने सदा से शोषितों का जीवन व्यतीत किया है। इतिहास की घटनाओं के आधार पर 1791 ई में गोरखों ने

सर्वप्रथम गढ़वाल के लंगूर गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने गोरखों के पुनः आक्रमण से बचने के लिए 25000/रु0 वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया।

गढ़वाल की जनता के दमन और शोषण में न केवल राजनीतिक परिस्थितियां बलवती रही वरन प्रकृति ने भी इसमें हाथ बंटाया। 1803 ई0 में एक रात में गढ़वाल मे ही केन्द्र बनाकर एक भंयकर भूकम्प आया जिसके फलस्वरूप पहाड़ों के टूटने से गांव के गांव दब गये। 20 या 25 प्रति"ात से अधिक जनसंख्या नहीं बची, ऐसे ही टूटे हुए पहाड़ों के खण्ड और खण्डहरों के अतिरिक्त कुछ दिखायी नहीं देता था।[3] 1795 ई0 में गढ़वाल में घोर दुर्भिक्ष भी पड़ा जो आज भी इक्कावनी–बावनी के नाम से जाना जाता है। जनता पर लगाये गये टैक्स या कर :–

1. **<u>औताली</u>** :– गढ़ नरे"ाों के शासन काल में मौरूसीदार की मृत्यु हो जाने पर यदि उसका कोई पुत्र नहीं होता था। तो उसे 'औता' कहते थे। उसकी भू समप्ति पर 'औताली' के रूप में राजा का आधिपत्य हो जाता था। न केवल उसकी भू–समप्ति पर बल्कि उसकी अविवाहित पुत्रियों और उसकी विधवा पत्नी पर भी राज्य का ही स्वामित्व मान लिया जाता था। इतना ही नहीं पुत्रियों और पत्नी को दासियों का जीवन बिताना पड़ता था।[4] यदि राजा के आदे"ा से उनका 'टके का विवाह' किया भी जाता था तो तो विवाह से प्राप्त धनरा"ि राजकोष में जमा कर दी जाती थी। इस व्यवस्था से जनता अत्यन्त दुखी थी और 'औता' के रूप में मरने की कल्पना ही लोगों में कम्पन्न कर देती थी।[5] टिहरी राज्य अभिलेखागार रजिस्टर संख्या 01 प्रपत्र 76/15 में नागरिकों के आभूषण राजकोष में जमा करने का उल्लेख है। ये आभूषण उन नारियों के होते थे, जिनके पति के औता रूप में मर जाने पर उनकी औताली राजा को प्राप्त हुयी होगी।[6]
2. **<u>गयाली</u>** :– यदि कोई अपनी भूमि को छोड़कर अपने परिवार को लेकर रहने के लिए अन्यत्र कहीं चला जाता था तो ऐसे गए हुए व्यक्ति की भूमि पर राजा का आधिपत्य हो जाता था। इस प्रकार की भूमि को गयाली कहा जाता था।
3. **<u>मुयाली</u>** :– मुयाली का अर्थ मृतक की भूमि से था। यदि कोई बिना किसी पुत्र या उत्तराधिकारी के मर जाता था अथवा उसका कोई विधिक वारिस नहीं होता था तो उस मृतक की भूमि पर राजा का स्वामित्व हो जाता था और ऐसी भूमि को मुयाली कहा जाता था।[7]

<u>नजराना, दाखिल खारिज</u> :– इस नियम के अन्तर्गत राजा ऐसी भूमि (गयाली, मुयाली) पर पुनः नजराना बसूल करके, नजराना देने वाले व्यक्ति को मौरूसीदार बना देता था। यह नजराना राज्य की आय का एक अच्छा साधन था।[7]

यदि किन्ही परिस्थितियों में भूमि को मृतक के उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित करना होता था तो ऐसे स्थानान्तरण के लिए दाखिल खारिज शुल्क जमा करना होता था। घर जवांई रखने या धर्मपुत्र बनाने, पुत्री या पुरोहित को भूमिदान करने पर भी निर्धारित रा"ि राजकोष में जमा करनी होती थी। यदि कोई का"तकार अपनी कृषिभूमि का विस्तार करता अथवा बंजर भूमि पर कृषि प्रारम्भ करता अथवा भूमि का विक्रय करता तो भी उसे नजराना देना पड़ता था।

4. **<u>देणं–रवेंण</u>** :– टिहरी नरे"ाों द्वारा देण–रवेण के नाम से एक वि"ोष कर लिया जाता था। यह कर राजपरिवार में कोई मांगलिक कार्य यथा विवाह या युवराज के जन्म आदि के अवसर पर वसूल किया

जाता था–इसे राज्य क्षेत्र में बसे सभी लोगों से जो रकम (लगान या राजस्व) देते थे–लिया जाता था। देण–रवेण के अन्तर्गत उन्हें रकम की रा"ि का चौथाई भाग अतिरिक्त देना पड़ता था।[8]

5. **आयात कर** :– यातायात साधनों में सुधार के फलस्वरूप , आयात, निर्यात में वद्धि हुयी जिसके परिणाम स्वरूप अगस्त 1934 से आयात–निर्यात करों की वसूली के लिए नयी नियमावली लागू की गयी–इसके अन्तर्गत टिहरी राज्य क्षेत्र के समस्त प्रवे"ा द्वारों पर तथा मार्ग में बीच–बीच में चुंगी चौकियां स्थापित की गयी। प्रत्येक चुंगी पर चुंगी मुं"ाी की नियुक्ति की गयी। इन मुं"ायों का कार्य चुंगी चौकी पर आयात–निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स वसूल करना और उसका हिसाब रखना था। वसूले गए टैक्स का हिसाब रखने के लिए चुंगी मुं"ाी को कै"ा बुक, रसीद बुक नियमावली, तराजू–बांट आदि रखने पड़ते थे। चुंगी मुं"ाी के कार्य की देखभाल करनेके लिए कस्टम विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट की नियुक्ति की गयी थी। आयात की जाने वाली वस्तुओं को निम्न वर्गों में बांटा गया था।
   a. **आड़त** :– इसके अर्न्तगत साधारण खाने–पीने की वस्तुएं जैसे अनाज सब्जी, गुड़, नमक आदि आते थे। आड़त के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के क्रय मूल्य पर एक आना प्रति रूपये की दर से आयातकर लिया जाता था। केवल 'घी' पर कोई कर नहीं लिया जाता था।[9]
   b. **पौंण टोंटी** :– खाने की साधारण वस्तुओं को छोड़कर दैनिक जीवन में प्रयोग की अन्य वस्तुओं पर जो कर राज्य में प्रवे"ा के समय चुंगी चौकियों पर वसूला जाता था को पौंण–टोंटी कहते थे। इसके अन्तर्गत नहाने, कपड़ा धोने के साधारण साबुन विभिन्न प्रकार क तेल, साधारण कपड़ें, बर्तन, बटन, चीनी, ऊन, ऊनी कम्बल तथा स्टे"ानरी का सामान आता था। इस सामान पर राज्य में प्रवे"ा के समय चुंगी चौकियों पर वस्तु के क्रय मूल्य पर एक आना–तीन पाई प्रति रूपये की दर से पौंण–टोंटी कर वसूला जाता था। निजी प्रयोग की छोटी–मोटी वस्तुओं पर भी इस टैक्स का लिया जाना जनता को बहुत अखरता था। प्रत्येक चुंगी पर एक पहरेदार आने–जाने वालों की पोटली या बैग खोलता था बाहर से सिलवा कर निजी प्रयोग के लिए लाए हुए कुर्ते–पायजामें जाने पर भी यह कर देना पड़ता था।
   c. **विलासिता की वस्तुएं** :– सामान्य जन के उपयोग की कुछ वस्तुओं को विलासिता की वस्तुओं की श्रेणी में रखकर उनपर अन्य वस्तुओं की अपेक्षा आयात कर अधिक लिया जाता था। इन वस्तुओं के संदर्भ में यह धारणा व्यक्त की गयी थी कि साधारण व्यक्ति के दैनिक जीवन के लिए इन वस्तुओं का वि"ोष महत्त्व और वि"ोष आव"यकता नहीं है–अर्थात यह वस्तुएं व्यक्ति की अनिवार्य आव"यकताओं से अलग है। सन् 1934 में महाराजा नरेन्द्र शाह के शासन काल में 08 आने प्रतिगज के अधिक मूल्य के कपड़े, रे"ामी कपड़े, पान, तम्बाकू, जूते–मोजे, खाने के मसाले, मेवा बिस्कुट, डिब्बा बंद वस्तुएं, मुरब्बा, अचार, अण्डे, सुगन्धित तेल, पाउडर आदि समस्त वस्तुओं पर अपेक्षाकृत अधिक कर लिया जाता था। इन वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 2 आना प्रति रुपये की दर से कर वसूला जाता था। टिहरी रियासम क्षेत्र में बीड़ी–सिंगरेट लाने पर उसके क्रय मूल्य पर 04 आना प्रति रुपया टैक्स लगाया गया था, जबकि भांग, चरस, अफीम, और जहरीली वस्तुएं लाने पर पूरा प्रतिबन्ध लगया गया था।
6. **निर्यात कर** :– 1934 ई0 की संसोधित व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार राज्य में बाहर से वस्तुओं क लाने पर आयात कर लिया जाता था, उसी प्रकार राज्य सीमा के बाहर वस्तुओं को ले जाने पर भी 'निर्यात कर' के नाम पर कर लिए जाते थे। अनाज, आलू, हल्दी, अदरक, विभिन्न प्रकार के फल,

लकड़ी, लकड़ी का सामान, जंगलों से प्राप्त सामग्री, जंगली प"ाुओं के सींग, खालें, लकड़ी के कोयले आदि वस्तुओं के निर्यात पर यह कर देय होता था। अनाज, आलू, अदरक, सब्जियों, हल्दी पर 4 आना प्रतिमन की दर से कर वसूला जाता था। जबकि दूध, दही, 'घी' मक्खन, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, फल, हरी घास, सूखी घास, लकड़ी का सामान, पालतू प"ाु पक्षियों, जंगली जानवरों की खालों और सींग, जड़ी–बूटियां आदि के निर्यात पर 'कर' की दरें अलग–अलग नि"चत की गयी थी।[10] प्राकृतिक एवं वन्य वस्तुओं को रियासत से बाहर ले जाने के लिए दरबार की वि"ोष अनुमति लेनी पड़ती थी। इन वस्तुआं के अन्तर्गत जंगली प"ाुओं की खालें, कस्तूरी, जीवित जंगली प"ाु, अभ्रक, धातुयुक्त पत्थर, मकानों की छत बनाने के पत्थर (पठाल), चूना सेलखड़ी, कत्था, लीसा, चीड़ के छिलके गोंद आदि आते थे। बिना दरबार की अनुमति के इन वस्तुओं को रियासत के बाहर ले जाना आपराध था। इनके अतिरिक्त राज्य में प्रवे"ा करने वाले–सवारी के घोड़ों, मोटर गाडियों डण्डी, बैलगाडी तथा अन्य सवारियों पर भी कर देना पड़ता था। राज्य क्षेत्र में धमार्थ लाई गयी वस्तुओ जैसे सदाव्रत के लिए रा"ान अथवा धर्म–"ालाओं अदि में प्रयोग हाने वाली वस्तुओं पर कोई कर देय नहीं होता था, कन्या के विवाह में दी जाने वाली दहेज की वस्तुओं और गाय–बकरी लाने पर भी कर मे छूट थी। धर्माथ वस्तुओं को राज्य क्षेत्र से बाहर लाने पर भी कर से छूट दी गयी थी। खेती के कार्य के अनुपयुक्त गाय–बैलों को राज्य से बाहर भेजने पर रोक थी।

7. **चिलम कर** :– भांग, सुलफा, चरस, अफीम आदि न"ाीले पदार्थों के राज्य में लाने और विक्रय पर कर लिया जाता था, जिसे चिलम कर कहते थे। 1934 की नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत भाग, चरस, अफीम, कोकीन आदि न"ाीली वस्तुओं के रियासत में आयात पर रोक लगा दी गयी थी।
8. **आबकारी कर** :– टिहरी राज्य में प्रारम्भ से ही मदिरा आदि न"ाीली वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में प्रचलन था। त्यौहारों तथा वि"ोष अवसरों पर मदिरा का वि"ोष प्रचलन था। मदिरा के प्रयोग को नियन्त्रित रखने और राज्य की आय बढ़ाने के लिए 'आबकारी कर' लिया जाता था। मदिरा की भट्टियों के ठेके दिए जाने की प्रथा थी। इससे राज्य को सहस्त्रों रुपये प्राप्त होते थे।
9. **मझारी** :– राजा सुद"ान शाह के काल में भांग के मंगेले, ऊनी, सूत्री वस्त्र, कम्बल आदि बुनने वाले हरिजनों से भी 'कर' लिया जाता था–इसे मझारी कहा जाता था। यह एक प्रकार से उत्पादन कर था।
10. **रैका भवन या गंगा जल विक्रय पर कर** :– प्राचीन समय से ही धार्मिक महत्त्व के कारण गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री के गंगाजल की दे"ा के कोने–कोने में मांग और मान्यता थी, इसलिए टिहरी रियासत क्षेत्र के रमोली, मुखेम, धनारी आदि क्षेत्रों के लोग जाड़े के दिनों में गंगाजल के कांवर लेकर ऋषिके"ा–हरिद्वार पहुंचते थे। वहां से यह जल अन्य व्यक्तियों द्वारा धन देकर प्राप्त कर लिया जाता था और वे व्यक्ति ही उसे दे"ा भर में पहुँचाते थे। इस प्राकृतिक सम्पदा गंगाजल की बिक्री से होने वाले लाभ में राज्य का हिस्सा करने और राज्य की आय बढ़ाने की दृष्टि से राजा भवानी शाह ने गंगाजल के ठेके की प्रथा प्रारम्भ की। यह 'कर' ही रैका भवन के नाम से गंगाजल बेचने वालों से वसूला जाता था।
11. **दास–दासियों की बिक्री पर कर** :– राजा सुद"ान शाह के राज्य काल में दास–दासियों के विक्रय की प्रथा थी। इससे पहले गोरखाली शासन में तो हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास के घाट पर गोरखा चौकी के पास 3 वर्ष से 30 वर्ष तक के अभागे स्त्री–पुरूष दास के रूप में पर्वतीय प्रदे"ाों से लाकर हर वर्ष 10 रु0 से 150 रु0 तक की दर से बेचे जाते थे।[11] दास–दासियों के विक्रय पर राजा को विक्रय कर मिलता था।

12. **दुकानों पर लाइसेंस** :— टिहरी रियासत के किसी भी क्षेत्र में अर्थात नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में अथवा यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की दुकान खोलने के लिए दरबार से लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसके लिए निर्धारित रा"ि राजकोष में जमा करानी पडती थी।
13. **भूमिकर या लगान** :— राजा सम्पूर्ण रियासत क्षेत्र का 'भूपति' होता था। अतः राज्य की आय का बड़ा भाग भूमिकर' से प्राप्त होता था। किसी भी प्रकार से भूमि से उपज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भूमिकर देना होता था। भूमिकर का बड़ा भाग नकद बसूल किया जाता था। नकद लिए जाने वाला भूमिकर को 'रकम या 'मामला' कहते थे। अनाज या वस्तु के रूप में लिया जाने वाला कर 'बरा' कहलाता था। 'रकम' या 'मामला' भूमिकर का 14 आना भाग अर्थात 7/8 भाग नकद रूप में लिया जाता था। इसको पटवारी के माध्यम से राजाकोष मे जमा कराये जाने की व्यवस्था थी। भूमिकर का 2 आनाभर भाग अर्थात 1/8 भाग अनाज के रूप में वसूला जाता था।[12] इस शेष 1/8 भाग को ही 'बरा' या विसाही' कहा जाता था। 'बरा' के रूप में दी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा नि"ि चत कर दी जाती थी। गेहूँ, चावल, दाल (उड़द) के स्थान पर प्रायः दुगनी या अधिक मात्रा में मोटे अनाज—मंडुवा, झंगोरा आदि भी वसूले जाते थे। बरा में अनाज के अतिरिक्त लकड़ी के बोझ भी लिए जाते थे। राजा द्वारा निर्धारित मात्रा में अतिरिक्त राजकर्मचारियों द्वारा वसूली जाने वाली अतिरिक्त 'बरा' से मुआफीदारों' की जनाता व राजा की जनता दोनों की बहुत दुखी थे। राजा के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों जैसे पटवारी, चपरासी और फारेस्टगार्ड आदि को अल्पवेतन के साथ वसूले गये 'बरा' में हिस्सा मिलता था। यह कर्मचारी नि"ि चत मात्रा से अधिक 'बरा' की वस्तुएं बेरहमी से वसूल करते थे। मांगी गई मात्रा न देने पर तरह तरह से प्रताडित करते थे।
14. **वनों से आय** :— राज्य क्षेत्र के वन भी टिहरी राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। प्राकृतिक वन सम्पदा राज्य की मूल्यवान सम्पत्ति थी, वन विभाग तथा वन क्षेत्र के किसी भी प्रकार उपभोग पर भी जनता से 'कर' वसूले जाते थे। राज्य के सभी वन राजा की सम्पत्ति थे उनसे होने वाली आय राजकोष में जमा होती थी। राज्य में 'घीकर' के नाम पर कुछ रा"ि प"ु चराने वालों से ली जाती थी। सन् 1858 में विल्सन नामक अंग्रेज ने 6000 रु0 वार्षिक पर टिहरी राज्य के कुछ वनों का ठेका लेने के लिए आवेदन किया।[13] विल्सन ने टिहरी राज्य के वनों से साल, चीड़, देवदार आदि की लकड़ी के स्लीपर बना कर नदियों में प्रवाहित कर हरिद्वारा तक पहुंचाने की योजना बनायी। 1927—28 की नवीन वन व्यवस्था के अन्तर्गत, सुरक्षित वन क्षेत्रों में जनता के सभी अधिकार सीमित कर दिए गये।
15. **छूट कर** :— तलाक देने वाले दम्पत्तियों से यह कर लिया जाता था 'कर' की रा"ि जमा कर देने पर ही तलाक मान्य होता था। यदि दम्पत्ति पुनः एक होकर रहने पर सहमत हो जाएं तो उन्हें पुनः कर के रूप में धनरा"ि राजकोष में जमा करनी होती है।
16. **जारी** :— व्यभिचारी नर—नारियों को उनका अपराध सिद्ध होने पर आर्थिक दण्ड देने की भी व्यवस्था थी।
17. **चन्द्रायण** :— यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से जाति भ्रष्ट हो जाता था और वह पुनः शुद्ध होकर अपनी जाति में सम्मिलित होना चाहता था तो उसे दरबार में शुद्धि हेतु अनुमति के लिए धन—रा"ि जमा करनी होती थी।
18. **घाट कर** :— जादू—टोना करने वालों को दण्डित करने हेतु कर लगाया जाता था इसे 'घाट' कहते थे।

19. **पाला विसाऊ कर** :– राजा व दरबारियों का सामान ले जाने के लिए बड़ी मात्रा में घोड़े–खच्चर रखे गये थे। इनके अतिरिक्त राजमहल में लगभग एक सौ गाय–भैंसे भी बंधी रहती थी। इनकी व्यवस्था के लिए यह राज आदे"ा था कि राज्य का प्रत्यके परिवार प्रतिवर्ष एक बोझ घास, चार पाथा चावल, दो पाथा गेहूँ, एक सेर घी और एक बकरा टिहरी स्वयं पहुंचाकर राजमहल में देगा और रसीद प्राप्त करेगा व फिर अपने गांव वापिस जाकर इस रसीद को पट्टी पटवारी का दिखाएगा। ऐसा न करने पर व्यक्ति को दण्डित किया जाता था।[14] इस प्रथा को ही –पाला विसाऊ कहा जाता था।
20. **कुली उतार या छोटी वरदायश** :– इसके अर्न्तगत दरबार के कार्य में सहयोग देने के लिए आम जनता को दरबार के कर्मचारियों और मेंहमानों के भार ढोने के लिए तत्पर रहना पड़ता था। उस समय में अंग्रेज बहादुरों, उनकी मेंमों, बच्चों, भोजन सामग्री को यहां तक मुर्गो और कुत्तों को भी कुली वरदाय"ा के अन्तर्गत कण्डी या डण्डी में ढोना होता था। इस अनिवार्यता से जनता बहुत दुखी थी।
21. **बड़ी बरदायश या प्रभु सेवा** :– बड़ी बरदाय"ा भी एक प्रकार की कुली बरदाय"ां ही होती थी, अन्तर केवल यह था कि बड़ी बरदाय"ा केवल राजा, राजपरिवार, राजअतिथि, पोलिटिकल एजेण्ट या समकक्ष को उनके राज्य क्षेत्र में भ्रमण के समय उपलब्ध करायी जाती थी, छोटी बरदाय"ा या कुली उतार से अनेक संभ्रान्त परिवारों को छूट दे दी जाती थी। पर बड़ी बरदाय"ा से सामान्य परिस्थितियों में किसी को भी छूट नहीं थी। इस बड़ी बरदाय"ा को ही 1930 के प"चात 'प्रभु सेवा' का नाम दिया गया।[15]

जागीरदार व मुआफीदार :– टिहरी राज्य में राजा द्वारा कुछ लोगों को जागिरें व अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए स्वा"ाासित प्रदे"ा भी दिए जाने की परम्परा थी। राजपरिवार के सदस्यों और राजभक्त अहलकारों को जागीरें दी जाती थी। इन जागीरदारों को अपने जागीर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त थे। यह लोग 'कुली उतार' या 'छोटी बरदाय"ा' से मुक्त होते थे दूसरी ओर उन्हें पूरे राज्य में ग्रामीणों से कुली उतार प्राप्त करने और अकड़कर उनके कन्धों पर सवारी करने के अधिकार थे। सकलाना और पड़ियारगांव के मुआफीदारों को स्व"ाासित प्रदे"ा दिया गया था।[16]

निष्कश :– टिहरी रियासत भी दे"ा की समस्त छोटी–बड़ी रियासतों में से एक थी और कुछ रियासतों को छोड़कर दे"ा की लगभग समस्त रियासतों की जनता एक ही प्रकार का नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। रियासत चाहे छोटी हो या बड़ी वहां के शासक द्वारा अपनी जनता का शोषण करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता था। ब्रिटि"ा साम्राज्य शाही के सहारे राणा, राजा, महाराजा, हिज–हाईनेस, आदि के पदनामों से सजे शासक बेरहमी से अपनी जनता को जानवरों से भी बदतर जिन्दगी जीने को बाध्य किये हुए थे।

सन्दर्भ सूची

1. *पण्डित हरिकृ'ण रतूड़ी – गढ़वाल का इतिहास द्वितिय संस्करण टिहरी 1980 पृष्ठ संख्या 222.*
2. *पण्डित हरिकृ'ण रतूड़ी – गढ़वाल का इतिहास द्वितिय संस्करण टिहरी 1980 पृष्ठ संख्या 69.*
3. *पण्डित हरिकृ'ण रतूड़ी – गढ़वाल का इतिहास द्वितिय संस्करण टिहरी 1980 पृष्ठ संख्या 104.*
4. *पण्डित हरिकृ'ण रतूड़ी – नरेन्द्र हिन्दू लां नवल कि"ाोर प्रेस लखनऊ 1918 पृष्ठ संख्या 624–625*
5. *मानेटियर 'ए' समर रेम्बल इनद दि हिमालयाज' पृष्ठ संख्या 204.*
6. *डबराल डा0 f"ाव प्रसाद – उत्तराखण्ड का इतिहास भाग–6 बीरगाथा प्रका"ान दोगड्डा पौड़ी गढ़वाल, पृष्ठ–415.*
7. *टिहरी राज्य में भूमि सम्बन्धि अधिकार निमय' पृष्ठ संख्या 3–4.*
8. *डबराल, डॉ0 f"ाव प्रसाद – उत्तराखण्ड का इतिहास भाग–6 बीरगाथा प्रका"ान पृष्ठ–464.*
9. *डॉ0 बृजभूषण कुमार जौहरी – 'अमर शहीद श्री देव सुमन' चन्द्रा प्रका"ान मुरादाबाद' पृष्ट संख्या–21.*

10. *डॉ0 बृजभूषण कुमार जौहरी – 'अमर शहीद श्री देव सुमन' चन्द्रा प्रका"ान मुरादाबाद पृष्ट संख्या–22.*
11. *एसियाटिक रिसर्चेज – खण्ड 11 पृष्ट–459.*
12. *टिहरी गढ़वाल राज्य के भूमि सम्बन्ध अधिकार नियम पृष्ट संख्या – 3.*
13. *डबराल, डॉ0 f"ाव प्रसाद – उत्तराखण्ड का इतिहास भाग–06 बीरगाथा प्रका"ान पृष्ठ–229.*
14. *भक्त द"ार्न – 'गढ़वाल की दिंवगत विभूतियां' द्वितीय संस्करण देहरादून 1980 पृष्ट संख्या संख्या – 171.*
15. *कायदे बाबत प्रभू सेवा व कुली उतार 1930 पृष्ट संख्या–02.*
16. *डबराल डॉ0 f"ाव प्रसाद उत्तराखण्ड का इतिहास भाग 6 बीरगाथा प्रका"ान पृष्ट संख्या–412.*